सं./No.1/2 /2007/(राज.)–जीवनांक–(सीआरएस)
भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
गृह मंत्रालय/MINISTRY OF HOME AFFAIRS
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA
वी.एस. डिवीजन, पश्चिमी खण्ड–1, आर.के. पुरम, नई दिल्ली–110066
V.S. Division, West Block-I, R.K. Puram, New Delhi-110066
दूरभाष–फैक्स/Tele-Fax NO. 26100678 E-mail-drg-crs.rgi@censusindia.gov.in

दिनांक – 16.02.2012

सेवा में,

मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवम् मृत्यु,
तथा निदेशक, आर्थिक एवम् सांख्यिकी,
राजस्थान, योजना भवन,
नई हाईकोर्ट बिल्डिंग के पीछे,
तिलक मार्ग, सी–स्कीम,
जयपुर–302005

विषयः– वर्ष 1860 के समकालीन वर्षो में मृत्यु होने पर शपथ पत्र एवम् मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में मार्गदर्शन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र क्रमांक एफ 13/1/3/डी–1/वीएस/डीईएस /2012/3043, दिनांक 02.02.2012 के संदर्भ लें। इस संबंध में कोई कारवाई करने से पूर्व आपका ध्यान निम्न बिंदूओं की ओर आकर्षित किया जाता हैः–

(क) जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत विलंबित पंजीकरण के प्रावधानों के अंतर्गत किसी भी घटना का रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है, चाहे वह कितनी ही पुरानी क्यों न हो, चाहे वह जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यान्वयन से पूर्व की हो।

(ख) चूंकि सभी घटनाएं (एक को छोडकर) अधिनियम से पूर्व की है इसलिए कोई भी घटना संभवतः पंजीकृत नही हुई होगी, अतः यदि आवेदक सहमत हो तो उन्हें सभी संबंधित घटनाओं के अनुपलब्धता प्रमाणपत्र जारी किए जा सकते है।

(ग) हमारे कार्यालय में ऐसे पुराने मामलों के संबंध में इस आशयं का एक प्रमाणपत्र जारी किया जाता है कि 'जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के कार्यान्वयन के पूर्व, जो कि 01.04.1970 से देश में लागू हुआ था, भारत में जन्म–मृत्यु का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नही था।' इस आशय का प्रमाणपत्र राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में आपके द्वारा जारी किया जा सकता है, जिससे कि संभवतः आवेदक की संतुष्टि हो सके।

(घ) यदि उक्त तीनों विकल्प नही अपनाए जा सकते तो इस संबंध में यह राज्य सरकारों पर निर्भर करता है कि किसी भी जन्म/मृत्यु की घटना के विलंबित पंजीकरण हेतु किस तरह की प्रक्रिया अपनाएं। इसके लिए हरियाणा व पंजाब सरकार ने पुराने मामलों के रजिस्ट्रीकरण हेतु निम्न प्रक्रिया अपनाई हैः–

- तीन वर्षो का अनुपलब्धता प्रमाण पत्र।
- सम्बन्धित रजिस्ट्रार द्वारा जांच रिपोर्ट
- निवास स्थान का सबूत एवम् जन्म अथवा मृत्यु तिथि का सबूत।

उपरोक्त बिन्दुओं में से जो भी उचित लगे उस पर कार्रवाई की जा सकती है।

भवदीया,

–ह–

(पी.ए.मिनी)
उप महारजिस्ट्रार (सी.आर.एस.)